



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012022-232559
CG-DL-E-11012022-232559

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 11, 2022/पौष 21, 1943

No. 17]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 2022/PAUSHA 21, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/325/13-डीडी/44/14-डीसी/620/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. वेंकट नारायण वेदांतम (सदस्यता संख्या 211377), 46-23-7, श्री रामदास सहकारी प्रशिक्षण संस्थान के पास, गांधी पुरम 2, राजमहेंद्रवरम 533 103 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (2), (7) और (8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. वेंकट नारायण वेदांतम (सदस्यता संख्या 211377) के नाम को 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 25,000/- रुपए (पच्चीस हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका संदाय 3 मास के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को अतिरिक्त 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। चूंकि, प्रत्यर्थी अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असफल रहा है, अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. वेंकट नारायण वेदांतम (सदस्यता संख्या 211377) का नाम, 11 जनवरी, 2022 से 04 (चार) मास [03 (तीन) मास और अतिरिक्त 01 (एक) मास] की समेकित अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./572/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up under an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2022

(Chartered Accountants)

No. PR/325/13-DD/44/14-DC/620/2017.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Venkat Narayan Vedantam (Membership No. 211377), 46-23-7, Near Sri Ramdas Co-operative Training Institute, Gandhi Puram 2, RAJAMAHENDRAVARAM 533 103**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Items (2),(7) & (8) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Venkat Narayan Vedantam (Membership No. 211377)**, from the Register of Members for a period of 03(Three) months and also imposed a fine of Rs. 25,000/-(Rupees Twenty Five Thousand only) to be paid within 3(three)months and in case of default in payment of fine within stipulated time his name be removed for additional 1(one) month period. Since the Respondent failed to pay the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Venkat Narayan Vedantam (Membership No. 211377)**, shall stand removed from the Register of Members for a consolidated period of 4 (Four) months [03 (three) months plus additional 1 (one) month] with effect from 11th January, 2022.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./572/2021-22]